न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 04/2016

उनवान

श्रीमती नानूडी देवी पुत्री स्व0 श्री सेडू पत्नी भागीरथ, जाति बलाई, निवासी ग्राम उड्गवार उर्फ गुडलिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर हाल निवासी गली नम्बर 12, संजय कॉलोनी, सेक्टर नम्बर 23, फरीदाबाद(हरियाणा)।

–अपीलार्थी–

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत भूतेडा पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. उपसरपंच, ग्राम पंचायत भूतेडा पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. सचिव, ग्राम पंचायत भूतेडा, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. ओंकार पुत्र मनसा।
5. भागीरथ पुत्र मनसा।

   समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम उड्गवार उर्फ गुडलिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. श्रीमती धन्नी देवी पुत्र स्व0 श्री सेडू पत्नी श्री सालगराम(फौत दौराने प्रकरण)

8/1 सीताराम पुत्र स्व0 धन्नी देवी पत्नी सालगराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम आष्टीकलां, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

8/2 कमली देवी पुत्री स्व0 धन्नी देवी पत्नी पुशाराम, जाति बलाई, निवासी जोबनेर रोड, ग्राम सलादीपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

8/3 रूकमा देवी पुत्री स्व0 धन्नी देवी पत्नी कालूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम मलिकपुर, तन बधाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

8/4 आंची देवी पुत्री स्व0 धन्नी देवी पत्नी [illegible] जाति बलाई, निवासी ग्राम मलिकपुर, तन बधाल [illegible] जयपुर।

8/5 सायरी देवी पुत्री स्व0 धन्नी देवी पत्नी नाथ[illegible], जाति बलाई, निवासी [illegible] रलावता तन जीणमाता जिला सीकर।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

8/6 बाबूलाल पुत्र स्व0 शान्ति देवी पत्नी कानाराम पुत्री स्व0 धन्नी देवी।
8/7 राजकुमार पुत्र स्व0 शान्ति देवी पत्नी कानाराम पुत्री स्व0 धन्नी देवी।
8/8 प्रभूदयाल पुत्र स्व0 शान्ति देवी पत्नी कानाराम पुत्री स्व0 धन्नी देवी।
8/9 गुलाबचन्द पुत्र स्व0 शान्ति देवी पत्नी कानाराम पुत्री स्व0 धन्नी देवी।
8/10 गुड्डी पुत्री स्व0 शान्ति देवी पत्नी कानाराम पुत्री स्व0 धन्नी देवी।

समस्त जाति बलाई, निवासी जोबनेर रोड, ग्राम सलादीपुरा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स—

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 जो कि उप सरपंच ग्राम पंचायत भूतेडा, पं0स0 गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर द्वारा अपीलान्ट क स्थान पर अपीनलान्ट के स्थान पर विवादित आराजीयात् में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किया गया।

निर्णय दिनांक 28.01.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम उगवार उर्फ गुडलिया, तहत पटवार हल्का गुडलिया, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित आराजीयात् खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 686 रकबा 2.35 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.35 हैक्टेयर, खाता संख्या 122 खसरा नम्बर 602 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 607 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 818/975 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर, खाता संख्या 124 खसरा नम्बर 604 रकबा 3.43 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर स्थित है।

उक्त वर्णित आराजीयात् के गत खसरा नम्बर 366/3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 366/4 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 373/3 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 375/1 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 401/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 401/3 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 456 [illegible] बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 401/2 रकबा 1 बिस्वा कुल कि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 व 8 का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

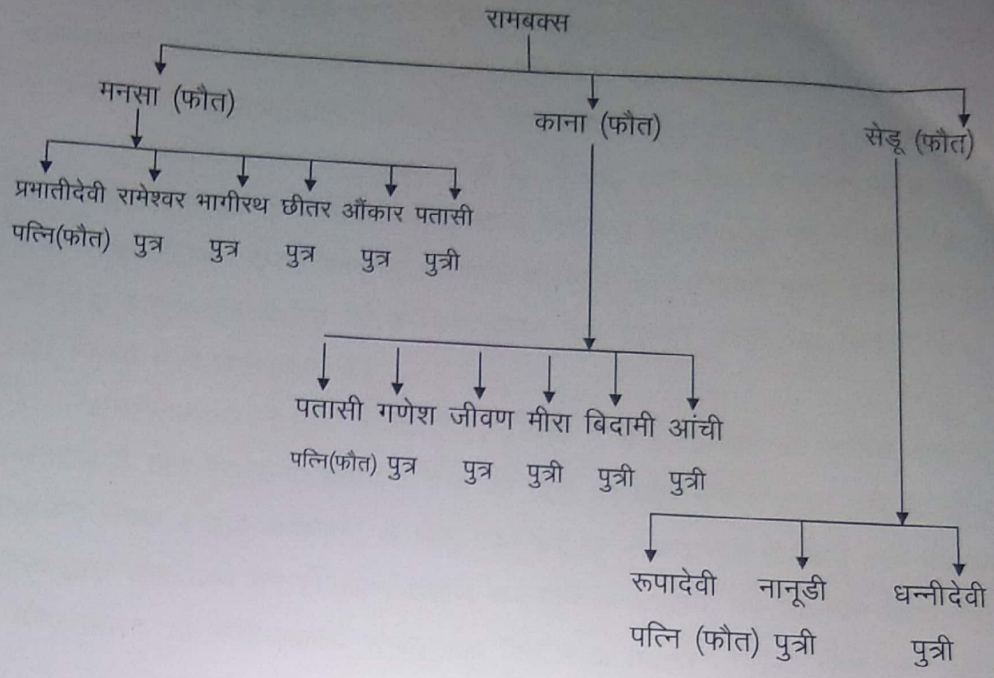

उक्त वर्णित आराजीयात् अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि है अर्थात् अपीलान्ट के पिता सेडूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही है जिसमें अपीलान्ट के पिता का 1/3 हिस्सा निहित था। अपीलान्ट के पिता अपने उक्त हिस्से अनुसार अपने जीवनपर्यन्त काबिज काश्त होकर उक्त आराजीयात् का उपयोग उपभोग करते रहे थे तथा लगान सरकारी जमा करवाते चले आ रहे थे तथा अपीलान्ट के पिता मृत्यु पश्चात् अपीलान्ट व अपीलान्ट की बहिन श्रीमती धन्नी देवी अपने पिता के हिस्से की भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा वर्तमान में भी कर रही है।

अपीलान्ट के पिता की मृत्यु आज से करीबन 35 वर्ष पूर्व हुई थी। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु पश्चात् रेस्पाडेन्ट संख्या 4 व 5 ने अपने सगे भाईयों रामेश्वर व छीतर से षड्यन्त्र कर अपीलान्ट की भूमि को हड़प करने के उद्देश्य से अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 से मिलीभगत कर अपने नाम नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया जबकि अपीलान्ट के पिता सेडू की सम्पत्ति में से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 अपीलान्ट के हक अधिकारों [illegible] प्रति[illegible] से ही शून्य व बेअसर है। अपीलान्ट का अपने पिता की भूमि में 1/3 हिस्से में [illegible]/2 हिस्सा बाई बर्थ निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

उक्त नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 के विरूद्ध अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

(1)ग्राम पंचायत भूतेड़ा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के हक में तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण मान्य न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।

(2)अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के पक्ष में उक्त आराजीयात् में अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के पक्ष में खोला जाना व वारिसान् की जांच करना कानूनन् आवश्यक था किन्तु ग्राम पंचायत भूतेड़ा द्वारा ऐसा ना कर भारी कानूनी भूल कारित की है जिस कारण नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 निरस्त किये जाने योग्य है।

(3)अपीलान्ट अपने पिता के हिस्से 1/3 भाग में से 1/2 भाग की काबिज खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, ना ह रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 अपीलान्ट के पिता स्व0 सेडू के जायन्दा पुत्र है किन्तु ग्राम पंचायत भूतेड़ा द्वारा उक्त तथ्य को भी नजर अंदाज कर विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है जिस कारण भी नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 निरस्त किये जाने योग्य है।

(4)भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.10.1977 को यह रिपोर्ट की गई थी कि वारिसान् की जांच किया जाना उचित है किन्तु उक्त रिपोर्ट के बावजूद भी उक्त दिनांक को रस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 जो कि स्व0 सेडू के वारिस/ उत्तराधिकारी नहीं है, के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। ग्राम पंचायत भूतेड़ा द्वारा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर उक्त नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 तस्दीक कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(5)अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर है जिस कारण अपीलाधीन नामान्तकरण माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।

(6)अपीलान्ट के पिता स्व0 सेडू की निवर्सीयतीय मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके हिस्से का फौती नामान्तकरण उसके वारिसान् के नाम वारिसान् की जांच कर तस्दीक किया जाना चाहिये था। जो कि स्व0 सेडू के प्रथम श्रेणी के वारिसान पुत्रियां नानूडी देवी एवं धन्नी देवी एवं पत्नि रूपादेवी के नाम विधि अनुसार नामान्तकरण खोला जाना चाहिये था परन्तु अपीलान्ट के पिता स्व0 सेडू का फौती नामान्तकरण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के हक में बिना किसी हक अधिकार के खोलने में कठोर कानूनी भूल की है। जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 विधि विरुद्ध होने के कारण मान्य न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।

(7)ग्राम पंचायत भूतेड़ा द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनदेखी कर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो कि विधि विरुद्ध होने के कारण प्रारम्भ से शुन्य व निष्प्रभावी है जिस कारण से अपीलाधीन नामान्तकरण मान्य न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत भूतेड़ा द्वारा वाके ग्राम उगवार उर्फ गुडलिया, तहसील चौक, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात् खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 686 रकबा 2.35 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.35 हैक्टेयर, खाता संख्या 122 खसरा नम्बर 602 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 607 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 818/975 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर, खाता संख्या 124 खसरा नम्बर 604 रकबा 3.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर में अपीलान्ट के पिता स्व0 सेडू के हिस्सा 1/3 भाग का रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के हक में तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1,2,6,7 बावजूद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 धन्नी देवी फौत होन पर प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 का स्वीकार किया गया। कायम मुकाम के वारिसान की तलबी जारी की गई। विधिवत तामिल के बावजुद भी कायम मुकाम वारिसान संख्या 8/1 ता 8/10 अनुपस्थित है इनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रत्यर्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट का पेश कर निवेदन किया है किः– अपील की मद संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त मद मे यह कथन की उक्त मद संख्या 1 व 2 मे वर्णित आराजीयात का 1/3 हिस्सा सेडू के नाम दर्ज रिकार्ड रहा सही है, परन्तु अपीलान्ट के पिता सेडू ने अपने जीवन काल में मिन जबाबदाता [illegible] 5 के साथ उक्त वर्णित भूमि के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त रहे, [illegible] उसकी पत्नी रूपादेवी के साथ काबिज काश्त रहे, तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलान्ट व

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 धन्नी देवी का नॉं तो भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार रहा, नॉं ही कभी कब्जा काश्त रहा । अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होना स्वीकार है। शेष इबारत मिथ्या एवं गलत होने से अस्वीकार है। अपीलान्ट का पिता सेडू जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 के पिता मंशा का सगा भाई था, उसने अपने जीवन काल में अपनी पत्नि रूपा देवी की सहमति से अपने भाई मंशा के लडकों रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 को उनके बाल्यकाल में ही अपने पास दत्तक पुत्र के रूप में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की सहमति से रख लिया था एवं समाज के पॉंच पंचों के बीच पताशे वगैराह बॉंट दिये थे। तथा सेडू की मृत्यु के उपरान्त उसका दाह संस्कार, क्रियाकर्म रेस्पोन्डेंट संख्या 4 व 5 ने ही किये थे पगडी रस्म सामाजिक दस्तुर अनुसार रेस्पोन्डेन्ट के ही मौजीज व्यक्तियों के समक्ष हुई थी। तथा इसके पश्चात अपीलान्ट व उनकी माता रूपा देवी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 ने अपनी मौखिक सहमति से जरिये नामान्तरण संख्या 190 दिनॉंक 8.10.1977 को मिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाया था। तथा अपने दत्तक पिता सेडूराम की मृत्यु के पश्चात मिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 ने ही अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की समस्त सामाजिक जिम्मेदारीयॉं शादी भात पेज आदि के कार्य करते आ रहे है तथा आज से लगभग 6–7 वर्ष पूर्व जब दत्तक माता रूपा देवी की मृत्यु हुई तो उसके समस्त किया कर्म भी मिन जबाब दाता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 ने किये थे । अब चुंकि जमीनों के भाव बढ गये है इसलिए अपीलान्ट के मन मे बेईमानी व लालच आ गया है जिससे प्रेरित होकर के यह अपील पेश की है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

नामान्तरण संख्या 190 दिनॉंक 8.10.1977 किसी भी तरह से प्राकर्तिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत नहीं खोला गया है। उक्त नामान्तरण समस्त वारिसान की जॉंच कर अपीलान्ट व अपीलान्ट की माता रूपा देवी व बहिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 धन्नी देवी की सहमति से वारिसान की जॉंच कर खोला गया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है नॉं ही कब्जा काश्त है। अपने विवाहोपरान्त अपीलान्ट अपने ससुराल मे निवास करती आ रही है। बल्कि उक्त भूमि पर मिन रेस्पोन्डेन्ट का ही अपीलान्ट के पिता सेडूराम के जीवन काल से ही कब्जा काश्त रहा है। ग्राम पंचायत भूतेडा द्वारा किसी प्रकार के विधिक प्रावधानों का उल्लंधन नही किया गया है। नियमानुसार नामान्तकरण बाद वारिसान की जॉंच के अनुसार स्वीकार किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण अपने अधिकार क्षैत्र मे खोला गया है।

उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट व उसकी माता [illegible] की सहमति व जानकारी में खोला गया हैं। एवं किसी भी तरह [illegible] है उक्त नामान्तकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विधिक प्रावधानों के [illegible]नुसार खोला गया है। हिन्दु

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि दिनाँक सन 1995 से पूर्व यदि कोई भूमि वेस्ट डेमेज या हस्तांतरित हो जाती है तो उसमें पुत्रीयों को कोई अधिकार नही होगा । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार नही है तथा अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है इसके बावजूद यह अपील मियाद बाहर पेश की है। जो खारिज किये जाने योग्य है ।

बहस उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई भी हिंदू बिना वसीयत अगर फौत होता है तो उसकी संपत्ति में उसके सभी प्रथम श्रेणी वारिसों का हिस्सा रहेगा। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 के सब सेक्शन 1 के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति किसी एक के गोद नहीं रह सकते हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया ने यह भी कथन किया कि इस मामले में एक एफ आई आर धारा 420 के अन्तर्गत पुलिस थाना गोविंदगढ़ में दर्ज करवाई गई है जिसमें प्रथम दृष्टया रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 को दोषी माना गया है। परिसीमन अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया कि अपीलांट अनपढ़ महिला है और उसे कानूनी प्रावधानों का ध्यान नहीं था इस वजह से अपील दायर करने में देरी हुई। नकल प्राप्त करने के दिनाक से अपील दायर करने कि दिनांक 1 महीने से कम है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कहा कि उपसरपंच ने बिना सुनवाई के नामांतकरण खोल दिया और किसी भी लीगल वारिसों को कोई नोटिस नहीं दिया गया जबकि सुनवाई का अधिकार के अंतर्गत सभी वारिसों को सुनना जरूरी था। अधिवक्ता प्रार्थीया ने यह भी कहा कि अप्रार्थी संख्या चार व पांच ने अपने जवाब में स्वयं को मनसा का वारिस घोषित किया है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 4, 5 ने अपने कथन में कहा कि यह अपील टाइम बार्ड है क्योंकि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए। 40 साल बाद अगर कोई अपील लेकर आता है तो वह पोषणीय नहीं है। सिर्फ नानूड़ी ने अपील करी है जबकी धन्नी देवी ने किसी प्रकार का एतराज नही किया है। एफ.आई.आर के संबंध में कथन करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि केस भी कोर्ट में ट्रायल में चल रहा है और उस पर अभी कोई दोष सिद्धि भी नहीं हुई है। प्रार्थीया ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन्हें कैसे पता चला कि नामांतकरण में इनका नाम नही है।

बहस का जवाब देते हुए अधिवक्ता प्रार्थीया ने कहा कि 1984 आर आर डी 283 राजस्थान हाईकोर्ट में लीमिटेशन के बिंदु को गौण माना गया है। अपने जवाब के बिंदु संख्या 4 व 5 में रेस्पोंडेंट ने नानूडी को बेटी माना है [illegible] की आपत्ति इस केस में इमेटरियल है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने [illegible] 1998 पेज 319(HC) पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

दृष्टांतो का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के अभिमत में हस्तगत अपील में निर्णय पारित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है:—

1. क्या अपीलांट अपने पिता की सम्पत्ति के हक पूर्वक अधिकारी है?
2. क्या नामान्तकरण अपीलांट की सहमति से हुआ है?
3. क्या यह अपील मियाद के अंतर्गत है?
4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का इस केस पर क्या प्रभाव रहेगा?

बिंदु संख्या एक पर विचारण के पश्चात हम पाते हैं कि अपीलांट ने अपनी अपील में सजरा खानदान प्रदर्शित कर स्वयं को सेडू के वारिस के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया है। इस संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 के द्वारा अपने जवाब अपील के मद संख्या 5 में कथन किया है कि " अपीलान्ट व उनकी माता रूपादेवी व रेस्पोंडेंट संख्या 8 ने अपनी मौखिक सहमति से जरिए नामातकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 को मिन रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया था। इससे यह प्रतीत होता है कि रेस्पोंडेंट ने भी अपने कथन में नानूड़ी को सेडू का वारिस माना है।

बिन्दु संख्या दो पर विचरण के पश्चात हम पाते हैं कि रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 ने अपने जवाब अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में यह कथन किया है कि नामान्तकरण अपीलान्ट की मौखिक स्वीकृति से हुआ है। परन्तु नामान्तकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नही है कि अपीलान्ट ने अपनी सहमति ज़ाहिर की गई हो या उसे इस नामान्तकरण की जानकारी रही हो।

बिन्दु संख्या तीन पर विचरण करने पर हम पाते है कि अपील नामान्तकरण होने के लगभग 38 वर्षो बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त नामान्तकरण उसकी अनुपस्थिति में स्वीकार किया गया। अपीलांट ने नकल प्राप्त दिनांक 19.02.2016 से उक्त अपील तैयार कर दिनांक 24.02.2016 से उक्त अपील तैयार कर दिनांक 24.02.2016 को प्रस्तुत करी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 पर विचार करने के पश्चात यह उचित प्रतीत होता है कि डिले कंडोन किए जाने या अस्वीकार करने से पूर्व न्यायालय को मेरिट के आधार पर यह भी विचार करना चाहिए कि डिले कंडोन को अस्वीकार करने का परिणाम यह भी हो सकता हैं कि कोई मेरिटोरियस मामला न्यायालय की दहलीज से ही बाहर हो जाए जबकि विलम्ब माफी स्वीकार करने पर अधिक से अधिक यह होगा कि यह मामला दोनों पक्षों [illegible] आधार पर निर्णय किया जाएगा। आरआरडी 1998 अर्बन इंप्रू[illegible] सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोहर बनाम शिवरान [illegible] किया है कि:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

" A liberal approach is an adopted on principle as it is realised that there is no presumption that delay is occasioned deliberately or on account of culpable negligence or on account of malafides. Litigant does not stand to benefit by restoring to delay infact he runs a serious risk. It must be grasped that judiciary is respected not on account of its power to legalise injustice on technical grounds but because it is capable of removing injustice and is epected to do so.

The expression 'sufficient cause' should therefore, be considered with pragmatism in justice oriented process approach rather than the technical detention of sufficient cause for explaining everyday days' delay.

Refusing to condone delay can result in meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause justice being defeated. As against this when delay is condoned the highest that can happen is that a case would be decided on the merits after hearing the parties."

अपीलांट का प्रार्थना पत्र दफा 5 का उपयोग लायक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

बिंदु संख्या चार पर विचरण के पश्चात हम पाते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार नियम के सेक्शन सिक्स पर निर्णय पारित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा वर्ष 2020 में कहा है कि:–

(1) The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and

(2) The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9.9.2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which had taken place before 20th day of December,

(3) Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005.

(4) The statutory fiction of partition created by proviso to Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 as originally enacted did not bring about the actual partition or disruption of coparcenary. The fiction was only for the purpose of ascertaining share of deceased coparcener when he was survived by a female heir, of Class-I as specified in the Schedule to the Act of 1956 or male relative of such female. The provisions of the substituted Section 6 are required to be given full effect. Not with standing that a preliminary decree has been passed the daughters are to be given share in coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in appeal.

(5) In view of the rigor of provisions of Explanation to Section 6(5) of the Act of 1956, a plea of oral partition cannot be accepted as the statutory recognised mode of partition effected by a deed of partition duly registered under the provisions of the Registration Act,

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1908 or effected by a decree of a court. However, in exceptional cases where plea of oral partition is supported by public documents and partition is finally evinced in the same manner as if it had been affected by a decree of a court, it may be accepted. A plea of partition based on oral evidence alone cannot be accepted and to be rejected.

We understand that on this question, suits/appeals are pending before different High Courts and subordinate courts. The matters have already been delayed due to legal imbroglio caused by conflicting decisions. The daughters can not be deprived of their right of equality conferred upon them by Section 6. Hence, we request that the pending matters be decided, as far as possible, within six weeks.

उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के विचारण करने से यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय की मंशा यह है कि अगर किसी व्यक्ति की बेटी आज जीवित है तो यह हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में जो संशोधन किया गया है वह रेट्रोस्पेक्टिवली भी लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि किसी भी संतान का बाई बर्थ अपने पिता की संपत्ति में हक होगा चाहे पिता की मृत्यु हो गयी हो। यहां पर हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6(1) व 6(5) पर विचरण करना भी जरूरी है जो की इस प्रकार है:–

6 Devolution of interest in coparcenary property. —

(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005*, in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—

(a) by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;

(b) have the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenary property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener: Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

(5) Nothing contained in this section shall apply to a partition, which has been effected before the 20th day of December, 2004. Explanation. For the purposes of this section "partition" means any partition made by execution of a deed of partition duly registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) or partition effected by a decree of a court.

उक्त धाराओं से यह स्पष्ट है कि अगर किसी संपति का registered partition या फिर testamentary disposition संशोधन से पूर्व हुआ हो तो यह संशोधन लागू नही होगा। अभिभाषकगण की बहस व उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वर्तमान केस में किसी प्रकार का disposition or alienation अभी तक [illegible] है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान [illegible] हक अपने पिता की संपति में बाई बर्थ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील में न्यायालय का यह अभिमत है कि अपीलांट नानूडी देवी का अपने पिता की संपति में बाई बर्थ हिस्सा रहा है। अपील मियाद अन्तर्गत है व यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण के समय अपीलांट ने किसी प्रकार की लिखित सहमति नही दी थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इस आधार पर किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंकन शून्य व बेअसर घोषित किए जाते है। इस आशय का अंकन जमाबंदी मे हो। नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 08.10.1977 रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया अपनाते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का अपील अवधि व्यतित होने के पश्चात 2 माह में निरस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अभिषेक सुराणा
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.04 12:32:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner